भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2585
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: महाराष्ट्र में आम उत्पादक किसानों को सहायता

2585. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री संजय दिना पाटीलः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र एक प्रमुख आम उत्पादक राज्य है जहाँ अल्फांसो आम स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध किस्मों में से एक है;

(ख) यदि हाँ, तो बागवानी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और प्रत्येक जिले से कुल वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी योजनाओं के माध्यम से अल्फांसो आम की बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और महाराष्ट्र में आम किसानों को दी जाने वाली वित्तीय या तकनीकी सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार महाराष्ट्र में अल्फांसो आमों की बर्बादी को कम करने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए फसल के बाद के प्रबंधन, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल कर रही है;

(ङ) क्या सरकार कोंकण क्षेत्र में अल्फांसो आम की बागवानी के लिए जैविक कृषि पद्धतियों का समर्थन कर रही है; और

(च) क्या ओडीओपी (एक जिला एक उत्पाद) योजना या अन्य योजनाओं के तहत कोंकण क्षेत्र में आम क्लस्टर या निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): जी, हाँ। अल्फांसो आम को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे प्रसिद्ध किस्मों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य में, कुल 170639 हेक्टेयर क्षेत्र आम की फसल के अंतर्गत आता है। कुल क्षेत्रफल में से, 129623 हेक्टेयर क्षेत्र कोंकण संभाग के अंतर्गत आता है, जो अल्फांसो आम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कोंकण संभाग के अंतर्गत आम की फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन का जिलावार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ज़िला	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	उत्पादन (मीट्रिक टन)
1.	रत्नागिरि	13442	25666
2.	गढ़	16230	29790
3.	घर	62280	124560
4.	सिंधुदुर्ग	34760	41880
5.	ा	2911	3012
	ा	129623	224908

स्रोत: एचएपीआईएस द्वितीय अग्रिम अनुमान 2024-25

(ग) एवं (घ): एमआईडीएच के अंतर्गत, आम सहित बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए अधिकतम लागत के 40% की दर से प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जो रोपण सामग्री, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और आईएनएम/आईपीएम आदि की सामग्री की लागत को पूरा करने के लिए आनुपातिक आधार पर 60:40 की 2 किस्तों में प्रदान की जाती है, बशर्ते कि दूसरे वर्ष में सर्वाइवल रेट 80% हो। पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, अनुसूचित क्षेत्रों, वाइब्रेंट गांवों, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह के मामले में सहायता अधिकतम लागत का 50% है।

एमआईडीएच के अंतर्गत विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसमें पैक हाउस, एकीकृत पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर ट्रांसपोर्ट, राइपनिंग चैंबर आदि की स्थापना शामिल है। यह घटक मांग/उद्यमी आधारित है, जिसके लिए संबंधित राज्य बागवानी मिशनों (एसएचएम) के माध्यम से सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% की दर से तथा पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से ऋण से जुड़ी बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, राज्य स्तर पर अल्फांसो की खेती के लिए दो योजनाओं अर्थात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन योजना और बहुसाहेब फुंडकर फलबाग लगवाद योजना के तहत भी सहायता दी जाती है।

(ड.): सरकार परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत इनपुट सब्सिडी प्रदान करके अल्फांसो आम सहित विभिन्न फसलों के लिए जैविक खेती पद्धतियों का समर्थन कर रही है।

(च): इस मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

*****